

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

फोन नं 0755 - 2555726 फैक्स नं. 0755 - 2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in
क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2015-16/15611 भोपाल, दिनांक 28/10/2015
प्रति,

प्राचार्य,
पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,
नौगांव (छतरपुर), राऊ(इन्दौर)
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या-62 में आयोजनेत्तर मद अंतर्गत बजट आबंटन।

संदर्भ:- म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक-120/581/2015/ चार/ब-4, दिनांक 31.03.2015

-00-

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित बजट आबंटन संसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये आबंटन जारी किया गया है, तदनुसार पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर) में निम्नानुसार आबंटन जारी किया जाता है :-

1. मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था-9999-(आयोजनेत्तर) मद में प्राचार्य, पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी को संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार राशि रूपये 213375/- (राशि रूपये-दो लाख तेरह हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) का आबंटन प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-13/2010/22/पं-1, दिनांक 12 मई 2010 के अनुसार जनपद पंचायतों को अन्तरित की जाने वाली राशियां बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने के वजाय सीधे ही जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने के संबंध में वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 997 दिनांक 8.10.2009 के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार आबंटन सीधे जनपद पंचायतों को सौंपा जा रहा है।


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।

निरंतर....

- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं सवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्न :- परिशिष्ट


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2015-16/ 15612
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28/10/2015

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला-छतरपुर/इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-छतरपुर/इन्दौर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आबंटन के विरुद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
8. निज सहायक, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश


परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर)-2515-योजना
क्रमांक-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था में आवंटित राशि

(राशि रूपये में)

क्र.	मद का नाम	संस्था का नाम-पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र		
		नौगांव (छतरपुर)	राऊ (इन्दौर)	कुल आवंटित राशि
		आवंटित राशि	आवंटित राशि	
1	2	3	4	5
1	# 11 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	7500	7500
2	# 12 मजदूरी	160000	20000	180000
3	# 22 001-डाक एवं तार व्यय	0	4050	4050
4	# 22 004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	0	5625	5625
5	# 22 006-वर्दिया	0	2700	2700
6	# 22 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	0	13500	13500
योग		160000	53375	213375




संयुक्त संचालक (वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्य प्रदेश